प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –495/2023
अनवान : –

1. जयलाल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. खेताराम पुत्र दुदाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 16.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 149/144 की कुल 1.7830 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 332/285 की कुल 21.3970 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 148/143 की कुल 12.6970 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा दुदाराम के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम उपरोक्त भूमि दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 149/144 की कुल 1.7830 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 332/285 की कुल 21.3970 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 148/143 की कुल 12.6970 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 149/144 की कुल 1.7830 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 148/143 की कुल 12.6970 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 332/285 की कुल 21.3970 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के [illegible] राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय 1/6 हिस्सा भूमि का वादी को [illegible] हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:49 IST
Reason: SelfAttested

बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भोगराना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –495 / 2023

अनवान : –

1. जयलाल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. खेताराम पुत्र दुदाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 495 सन 2023 निर्णय दिनांक 16.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 149 / 144 की कुल 1.7830 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 148 / 143 की कुल 12. 6970 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 332 / 285 की कुल 21.3970 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय 1 / 6 हिस्सा भूमि का वादी को एवं 1 / 3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भोगराना

3

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:49 IST
Reason: SelfAttested